झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. धारा–8 का प्रतिस्थापन

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची अधिनियम के संशोधन हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-1

प्रारंभ

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-**

   I. यह अधिनियम राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा;

   II. यह ऐसी स्थिति से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

2. **राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची अधिनियम, 2010 जो इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जायेगा कि धारा-8 का प्रतिस्थापनः-**

उक्त अधिनियम के अध्याय-3 में धारा-8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, यथाः-

"8-भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति विश्वविद्यालय के Visitor होंगे।

यह विधेयक राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्वविद्यालय, राँची (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 73--50--2-1-2012 ।